Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Limited
3rd Floor, CoERRA, Jhalana Dungari Near Aranya Bhawan,
Jaipur - 302004 –Rajasthan
Fax. No. 0141-2740676 Website: www.excise.rajasthan.gov.in

ऑफलाईन बिड आमंत्रण सूचना

किराना सामान

के उपापन हेतु (दर संविदा)

द्वि–भाग बिड

भाग– प्रथम

तकनीकी बिड

बिड कमांक–आरएसजीएसएम/किराना सामान/दर संविदा/2023–24/56 दिनांक 09.02.2024

बिड सबमिशन प्रारम्भ	:	दिनांक 10.02.2024 को दोपहर 03.00 बजे से
बिड प्रपत्र डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 15.02.2024 को सांय 06.00 बजे तक
बिड प्रपत्र अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय	:	दिनांक 15.02.2024 को सांय 06.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	:	दिनांक 16.02.2024 को सांय 04.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम, जयपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय	:	वित्तीय बिड खोलने की सूचना निर्णित होने पर दी जावेगी
बिड प्रपत्र मूल्य	:	रूपये 590 जीएसटी सहित मात्र

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

3rd Floor, CoERRA, Jhalana Dungari Near Aranya Bhawan,
Jaipur - 302004 –Rajasthan

ऑफलाईन–बिड आमंत्रण सूचना

बिड कमांक–आरएसजीएसएम / किराना सामान / दर संविदा / 2023–24 / 56 दिनांक 09.02.2024

1. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के मुख्यालय, जयपुर एवं सचिवालय, जयपुर कार्यालय में किराना सामान के उपापन हेतु किराना सामान के थोक विक्रेता / बिडर्स से ऑफलाईन–बिड आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्न प्रकार है–

कार्य	कुल अनुमानित व्यय राशि	बिड प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि	बोली की वैधता अवधि	बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	बिड खोलने की तिथि एवं समय व स्थान
मुख्यालय, जयपुर एवं सचिवालय, जयपुर कार्यालय में किराना सामान की आपूर्ति	रू. 120000 / –	रू. 590 (जीएसटी सहित) मात्र	अनुमानित बिड राशि का 2 प्रतिशत	90 दिवस	दिनांक 15.02.2024 सांय 06.00 बजे तक	दिनांक 16.02.2024 को सांय 4.00 बजे मुख्यालय, आरएसजीएसएम , जयपुर

2. बिड प्रपत्र वेबसाइट www.excise.rajasthan.gov.in or www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।
3. बिड शुल्क रू. 590 मय जीएसटी (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में), बोली प्रतिभूति राशि (RSGSM Ltd. payable at Jaipur के पक्ष में) के डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / बोली प्रतिभूति राशि घोषणा पत्र एवं एनेक्सर 'बी' (रू. 100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) ऑफलाईन बिड बन्द लिफाफे में बिड प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि एवं समय तक क्रय अनुभाग, आरएसजीएसमएम, तृतीय तल, CoERRA, अरण्य भवन के सामने, झालाना डूँगरी, जयपुर में जमा कराना होगा, बोली शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में तकनीकी बिड खोला जाना संभव नहीं हो सकेगा।
4. बिडर यह भी सुनिश्चित करें कि बिड संबंधी एवं चैक–लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति एवं बिड प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षरित एवं मोहरबंद कर प्रस्तुत किया गया है। ऐसा करने में असफल पाये जाने पर बिडर को तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

उपमहाप्रबन्धक (क्रय)

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

<u>बिडर द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाएं</u>

मैं/हम ————————————————(व्यक्ति/फर्म/कंपनी आदि) बहैसियत ———————————(पदनाम/प्रास्थिति) द्वारा समस्त बिड दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं इसके समस्त प्रावधानों व शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं तथा स्वीकारोक्ति स्वरूप सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं। मेरी/हमारी जानकारी निम्नानुसार है–

व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम	———————————————————
	———————————————————
	———————————————————
कार्यालय पता	———————————————————
	———————————————————
	———————————————————
फैक्ट्री / गोदाम का पता	———————————————————
	———————————————————
	———————————————————
दूरभाष संख्या	कार्यालय ———————————————————
	निवास ———————————————————
	गोदाम/फैक्ट्री——————————————————
	फैक्स ———————————————————
	ई–मेल ———————————————————
	मोबाईल———————————————————

वैधानिक विवरणः–

फर्म/कंपनी/एक्ट में पंजीयन	———————————————————
माल एवं सेवा कर पंजीयन (GSTN)	———————————————————

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

आयकर विभाग पंजीयन(पैन)	————————————————
माल एवं सेवा कर (GST)जमा की विवरणी का संदर्भ	————————————————
बोली प्रतिभूति राशि का विवरण	
डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या एवं दिनांक/ अन्य	————————————————
डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक राशि/ अन्य	————————————————
बिडर की बैंक का नाम	————————————————
बैंक खाता संख्या एवं आरटीजीएस न0	————————————————
हस्ताक्षर	————————————————
नाम व पदनाम हस्ताक्षरकर्ता	————————————————

<u>नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें।</u>

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

बिड के संबंध में विशेष शर्तें/नियम

*टिप्पणी–लोक उपापन के संबंध में " राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 " एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 प्रभावशील हैं एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल **sppp.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। अतः समस्त बिडर को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व इन नियमों से भलीभांति परिचित हो लेवें। यदि लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा इस बोली दस्तावेज के किन्हीं प्रावधानों के बीच विसंगति हो तो अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में उल्लेखित प्रावधान तथा आशय ही मान्य/प्रभावी रहेगा।*

1. संस्थान के **मुख्यालय, जयपुर एवं सचिवालय, जयपुर** पर आवश्यक विभिन्न किराना सामग्री के उपापन हेतु खाद्य मसालों के थोक विक्रेता/बिडर्स से बिड आमंत्रित की जाती है।
2. **कार्य का विवरणः–** सफल बिडर को **मुख्यालय, जयपुर एवं सचिवालय, जयपुर** पर निम्नानुसार आवश्यक विभिन्न किराना सामग्री की आपूर्ति करनी होगीः–

क्रम संख्या	किराना सामाग्री
1.	चीनी
2.	चाय पत्ती(ताज महल)
3.	शुगर क्यूब
4.	दूध पाउडर(नेसेले कम्पनी)
5.	कॉफी
6.	टी बेग
7.	लेमन टी
8.	ग्रीन टी
9.	गिरनार टी
10.	बिस्कीट (मोनाको, बोनबोन, गुडे एवं अन्य)
11.	डिस्पोजल ग्लास (छोटे एवं बडे ग्लास)
12.	मसाला एवं प्लेन चने
13.	बीकानेरी नमकीन एवं अन्य नमकीन
14.	टिशूपेपर बॉक्स
15.	रूम स्प्रे
16.	हैंड वॉस
17.	ऑडोनिल
18.	रियल जूस
19.	कोल्ड ड्रिंक
20.	सैल दोनो तरह के
21.	चाय मसाला
22.	चाट मसाला
23.	हार्पिक
24.	रोस्टेट मूंगफली
25.	ईलायची

3. बिड का अनुमानित व्यय लगभग रू. 1,20,000/– मय जीएसटी आंकलित किया गया है, जिसके आधार पर 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि रूपये 1,200 होगी। जिसके क्रम में बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बिड प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. आवश्यक सभी किराना सामग्री **के लिये बिड प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, आंशिक मात्रा/आईटम की बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जाकर अस्वीकार की जा सकेगी।**
5. सफल बिडर को स्वीकृति पत्र जारी किये जाने के पश्चात् अनुबंध निष्पादित करते वक्त **अनुमोदित राशि की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराना** होगा। इस राशि में

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

बिड के साथ जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को समायोजित किया जा सकेगा। अवशेष/अतिरिक्त राशि ही बिडर को जमा कराना होगा। जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा आपूर्ति सफलतापूर्वक सम्पादित हो जाने के पश्चात जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटायी जायेगी।

6. बिडर को किराना सामग्री **उच्च श्रेणी / मानक** के आपूर्ति करने होगें।
7. **बिडर को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पूर्णतः पालन करना होगा।**
8. आवश्यक विभिन्न किराना सामग्री आपूर्ति प्रभारी स्टोर द्वारा जारी प्रतिमाह शेड्यूल अनुसार एफ.ओ.आर. मुख्यालय, जयपुर एवं सचिवालय, जयपुर पर करनी होगी।
9. सफल बिडर को नियमानुसार (स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत) निर्धारित राशि के नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा। स्टाम्प राशि का व्यय भार बिडर को स्वयं वहन करना होगा।
10. सफल बिडर को राजकीय/केन्द्रीय नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
11. बिड प्रपत्र के साथ चैक–लिस्ट में चाहे गये सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
12. इस अनुबन्ध के तहत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित क्लॉज के तहत कानूनी कार्यवाही के लिये वाद क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय होगा।
13. अन्य नियम व शर्तें, जिनका उल्लेख इस बिड की शर्तों में नहीं किया गया है, आवश्यकता होने पर आरटीपीपी एक्ट, 2012 व आरटीपीपी नियम, 2013 के अनुसार मान्य होंगी।
14. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने या आपूर्ति असंतोषप्रद रहने की स्थिति में जमा कार्य सम्पादन राशि (+ 18 प्रतिशत जी. एस.टी) जब्त करते हुए अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
15. सफल बिडर द्वारा सत्यापित बिल (दो प्रतियों में) प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान मुख्यालय स्तर से किया जावेगा।
16. वित्तीय बिड में दरें(मालभाडा, अनलोडिंग शुल्क, कर आदि सहित) एफओआर मुख्यालय, जयपुर एवं सचिवालय, जयपुर करनी होगी।
17. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में कार्यरत कार्मिक द्वारा बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः निषिद्ध है। संस्थान में वर्तमान में सेवारत कार्मिक के परिवार के सदस्यों द्वारा भी बिड में भाग लिया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परिवार की श्रेणी में दादा, दादी, माता, पिता, पत्नी, पुत्र ,पुत्री (दत्तक पुत्र ,पुत्री सहित), पुत्रवधु, पौत्र, पौत्री, बहन, भाई शामिल होंगे।यदि संस्थान में कार्यरत कार्मिक के किसी रिश्तेदार (उपरोक्तानुसार वर्णित परिवार के सदस्यों के अलावा) द्वारा बिड में भाग लिया जाता है तो उसे लिखित में कार्मिक के साथ रिश्ते का घोषणा पत्र बिड के साथ संलग्न करना होगा।
18. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ1(8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 04.02.2014 के अनुसार बिड प्रपत्र के साथ संलग्न एनेक्चर ए,बी,सी,डी की शर्तो की पूर्ण पालना कर बोली फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
19. यदि सामान्य शर्तों एवं विशेष शर्तों में कोई विरोधाभास हो तो विशेष शर्त में विहित आशय ही मान्य किया जावेगा।
20. **बिडर को बिड प्रपत्र के एनेक्सर ''बी'' की 100/–रू. के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
21. बिड में वर्णित किराना सामग्री के लिये मदवार प्राप्त मूल दर (मालभाडा, अनलोडिंग शुल्क, कर आदि सहित) के आधार पर समग्र मात्रा एवं **आईटम हेतु कुल के आधार पर एल–1 का निर्धारण केवल एक बिडर को घोषित किया जावेगा।**
22. **अवधि :–** बिड की दर संविदा अवधि 02 माह होगी। जिसे आरटीपीपी एक्ट, 2012 व आरटीपीपी नियम, 2013 के अन्तर्गत बढाया जा सकेगा।

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

बिड एवं संविदा के लिये सामान्य शर्तें

नोट–यदि सामान्य शर्तों व विशेष शर्तों में विरोधाभास हो तो विशेष शर्त का आशय ही मान्य होगा। यदि सामान्य व विशेष शर्त में आरटीपीपी एक्ट व नियम से विरोधाभास हो तो आरटीपीपी एक्ट व नियम का अर्थ ही अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

1. बिडर को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप बिड ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड/ऑफलाईन करनी होंगी।
2. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना संस्थान को लिखित में बिडर द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

   (2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को बिडर द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए बिडर की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी ।
3. विधिमान्यता :–बिड, उनके खोले जाने की तारीख से 90 दिवस की अवधि के लिए विधिमान्य होंगी।
4. बिडर अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े (सब लैट) पर नहीं देगा।
5. निरीक्षण :– (क) संस्थान या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद, जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एंव कर्म कौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति होगी।

   (ख) बिडर अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ट हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल का प्रदाय संस्थान की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बिडर को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद संस्थान किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
7. बिडर या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्य़क्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
8. बोली प्रतिभूति राशि :– (क) बिड के साथ बिड के अनुमानित मुल्य के 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बिड पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि आरएसजीएसएम के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी रूप में भी जमा करायी जानी चाहिए :–

   (1) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ऑनलाईन।

   (क) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय :– असफल बिडर की बोली प्रतिभूति राशि बिड को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद 60 दिवस में लौटायी जाएगी।

   (ड़) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बिड के सम्बन्ध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन राशि को नयी बिड के लिए बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन राशि के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।
9. बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण :–बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(1) जब बिडर बिड खोलने के बाद किन्तु बिड को स्वीकार करने के पूर्व, प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(2) जब बिडर विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(3) जब बिडर प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन राशि जमा नहीं कराता है।

(4) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

10. (1) करार एंव कार्य सम्पादन राशि :-(1) सफल बिडर को स्वीकृति-पत्र के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा बिड के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन राशिजमा करानी होगी ततपश्चात बिडर फर्म को कार्यादेश जारी किया जायेगा।

(2) बिड के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी ।

(3) कार्य सम्पादन राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(4) कार्य सम्पादन राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे :-

(क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(5) (1) कार्य सम्पादन राशि का समपहरण :-प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :-

(क) जब संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बिडर सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा है।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बिडर द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

11. भुगतान :- (1) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान बिडर द्वारा संस्थान को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बिडर द्वारा वहन किए जाएंगे।

(2) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(3)उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

12. वसूलियां :- परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट-फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन राशिसे की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

13. यदि बिडर ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब

तक कि संस्थान द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

14. संस्थान किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से अधिकतम दर की बिड नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बिड को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बिडर ने बिड दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बिड को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को समान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपनी पास आरक्षित रखेगा।

15. बिडर करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–
(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति ।
(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
(3) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एंव कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

16. कार्यादेश, अनुबंध आदि के संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है, तो संबंधित फर्म के द्वारा प्रभारी संचालक महोदय को एकल पंच नियुक्ति करने का अनुरोध किया जा सकता है। एकल पंच द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को स्वीकार योग्य होगा, तथा एकल पंच पर किये गये समस्त व्यय दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन किया जायेगा।

17. समस्त विधिक कार्यवाहियां, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बिडर) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।

18. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद कोई भी बिड स्वीकार नहीं जावेगी।

19. निर्धारित तिथि एवं समय पर अपलोड की गई बिड को मुख्यालय की उपापन समिति (क्रय समिति) द्वारा बिडर या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला(डाउनलोड) जावेगा।

20. बिडर की तकनिकी बिड में सफल होने पर ही वित्तीय बिड खोली जावेगी, तथा वित्तीय बिड खोलने की सूचना पृथक से बिडर को प्राप्त हो जावेगी।

21. तकनिकी बिड के साथ माल एवं सेवाकर पंजीयन (GSTIN)/ईएसआई/पी.एफ./आयकर विभाग से पैन नंबर आदि की सत्यापित प्रतियां बिडर द्वारा बिड प्रपत्र के साथ ऑफलाईन प्रस्तुत करनी होगी। इनके अभाव में बिड को अस्वीकार कर दिया जावेगा।

22. संबंधित सफल बिडर को 15 दिवस के भीतर–2 अनुबंध करना होगा, व कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबंध के समय पर जमा करानी होगी।

23. संस्थान न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी। साथ ही बिना कारण बताये बिड को निरस्त किया जा सकेगा।

24- **Liquidated Damages:**

(i) If the contractor fails to execute the order/contract within the period specified in the bid, and if such failure have arisen from, any unforeseen cause such as strike, fire, accident, any natural calamity resulting in stoppage of work in the factory, of the Manufacturer or similar reasons which the Director In charge of RSGSM Ltd. may feel valid for an extension of the time, may extend the period without charging any liquidated damages. His decision shall be final regarding the sufficiency or otherwise for extension of time.

(ii) If the Bidder fails to execute the order/contract within the period specified in the bid, the Director In charge of RSGSM Ltd may at his discretion allow extension of time subject to recovery from the Bidder as liquidated damages with 18% GST and not by way of penalty, a sum equal to the following percentage of the value of goods which the Bidder has failed to supply for the period of delay as stated below:-

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

a) Delay up to one fourth period of the prescribed delivery period – 2.5% + 18% GST
b) Delay exceeding one fourth but not exceeding half of prescribed delivery period – 5% + 18% GST
c) Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period – 7.5% + 18% GST
d) Delay exceeding three fourth but not exceeds the period equal to the prescribed delivery period – 10% + 18% GST

Notes :

(a) Fraction of a day in reckoning the period of delay in supply shall be eliminated if it is less than half a day.

(b) The maximum amount of liquidated damages shall be 10%.

(c) When the successful Bidder is unable to complete the order/contract within the specified or extended period, the Company shall be entitled to accept supply from the open market without giving any notice to the Bidder but at his risk and cost i.e. Bidder's account and risk the goods or any part thereof which the Bidder has failed to supply or if not available the best and nearest available substitute thereof or to cancel the contract and the Bidder shall be liable for any loss or damage which the company sustained by reason of such failure on the part of the Bidder. But the Bidder shall not be entitled to any gain on such purchase made against default. The recovery of such damage shall be made from any sum accruing to the Bidder under this or any other contract with the Company. If recovery is not possible from the bills and the Bidder fails to pay the loss or damage within one month, the recovery shall be made under any law for the time being in force or from any other bills outstanding with the Company.

(d) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurrence of any hindrance, he shall apply in writing to the authority, which has placed the supply order, for the same immediately on occurrence of the hindrance but not after the stipulated date of completion of supply.

(e) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hindrances beyond the control of the bidder.

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ………………………. for procurement of ………………………… in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated………….. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Doc1

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________
The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Doc1

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....
Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....
Date ....
Appellant's Signature

Doc1

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

SR FORM-17

AGREEMENT
(See Rule 68)

An agreement made this ……………………..day of …………...between …………………………………….. (hereinafter called **"the approved supplier"**, which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his heirs successors, executors and administrators of the one part and **the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.** (herein after called "**the RSGSM**" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.

1. Whereas the approved supplier has agreed with the RSGSM to supply to the_________ of the Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd. at its Head Office as well as at branches offices throughout Rajasthan, all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tender and contract appended herewith and at the rates set forth in column__________ of the said schedule.
2. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs._____ in _________.
   (1) Cash/Bank Draft/Bank Guarantee /Banker Cheque No.____________________ dated_________.
   (2) Post Office Savings Bank Pass Book duly hypothecated to the Departmental authority.
   (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of Small Savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement which has been formally transferred to the departmental authority.
3. Now these Presents witness:
   (1) In consideration of the payment to be made by the Government through_____ at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in_________ and _________ thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(2) The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No.______ dated________ and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.

(3) Letters Nos.________ received from tenderer and letters nos._______ issued by the Government and appended to this agreement shall also form part of this agreement.

(4)

(a) The RSGSM do hereby agree that if the approved supplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the RSGSM will through________ pay or cause to be paid to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditions, the amount payable for each and every consignment.

(b) The mode of Payment will be as specified below:-

1.______________________

2.______________________

3.______________________

4. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order:-

a) w.e.f. date of execution of agreement i.e. ……………. to up to one year i.e. ……………..

5. (1)(i)In case of extension in the delivery period with liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :-

S. No.	Items Quantity	Delivery period
a)	Delay upto onefourth period of the prescribed delivery period.	2½ % + 18% GST
b)	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period.	5% + 18% GST
c)	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	7½% + 18% GST
d)	Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period.	10% + 18% GST

Note :

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

(i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminated if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed liquidated damages shall be 10% + 18% GST

(iii) If the supplier requires an extension of time in completion of contractual supply on account of occurence of any hinderences, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the tenderer.

6. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretation of this agreement shall be decided by the Government and the decision of the Government shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the......... day of ....201.......

Signature of the approved supplier.

Date:

Witness No. 1

Witness No.2

Signature for and on behalf of Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.

Dy. General Manager (Purchase)

Date:

Witness No. 1

Witness No.2

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

<u>चैक–लिस्ट (तकनीकी बिड)</u>

(तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज)

1.	बिडर / थोक विक्रेता का नाम	
2.	सम्पर्क पता **पिनकोड** **दूरभाष / मोबाईल** **ई–मेल**	
3.	पैन नंबर (प्रमाण में दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)	
4.	बोली प्रतिभूति राशि	
	बिड प्रपत्र फीस (बैंकर चैक / डीडी का विवरण)	
5.	एनेक्सर ''बी'' में वर्णित घोषणा (रू.100 / – के नॉन ज्यूडिशीयल स्टॉम्प पेपर पर संलग्न करें)	
6.	वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन संख्या (GSTIN) (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
7.	पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति	
8.	हस्ताक्षरित बिड प्रपत्र मय मोहर	

<u>नोट : उक्त सभी प्रविष्टियां पूर्ण व अनिवार्य रूप से भरें एवं दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।</u>

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

<u>Financial Bid Part II</u>

(Financial Bid should be uploaded separately)

SCHEDULE OF RATES/ OFFER BY BIDDER

Bid Inviting Authority	Dy. General Manager (Purchase), RSGSM Ltd.
Name of Work/Item	For Supply of Grocery Items
Bid No.	आरएसजीएसएम/किराना सामान/दर संविदा/2023–24/56
Bidder Name	

PRICE SCHEDULE

Sl. No.	Item Description	Brand of Items	Unit Measurement (KG, Ltr., Nos. etc.)	Unit Rate Per Item/Per KG/ Per Ltr. Including Freight, un loading charges, Taxes etc. (in Rs.) (
1.	चीनी			
2.	चाय पत्ती	ताज महल		
3.	शुगर क्यूब			
4.	दूध पाउडर	नेसेले कम्पनी		
5.	कॉफी			
6.	टी बेग			
7.	लेमन टी			
8.	ग्रीन टी			
9.	गिरनार टी			
10.	बिस्कीट (मोनाको, बोनबोन, गुडे एवं अन्य)			
11.	डिस्पोजल ग्लास (छोटे एवं बडे ग्लास)			
12.	मसाला एवं प्लेन चने			
13.	बीकानेरी नमकीन एवं अन्य नमकीन			
14.	टिशूपेपर बॉक्स			
15.	रूम स्प्रे			
16.	हैंड वॉस			
17.	ऑडोनिल			
18.	रियल जूस			

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर

19.	कोल्ड ड्रिंक			
20.	सैल दोनो तरह के			
21.	चाय मसाला			
22.	चाट मसाला			
23.	हार्पिक			
24.	रोस्टेट मूंगफली			
25.	ईलायची			
	Total In Figures			
	Total in Words			

बिडर के हस्ताक्षर एवं मोहर